संख्या:07/2024/2059/चौंतीस-लो0शि0-05/2024-05लो0शि0/2019

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

लोक शिकायत अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 18 दिसम्बर, 2024

विषयः समाधान पोर्टल (www.samadhan.gov.in) पर समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:1/2020/129/चौंतीस-लो0शि0-05/2020-05लो0शि0/2019 दिनांक 17 फरवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त शासनादेश दिनांकः 17 फरवरी, 2020 के प्रस्तर-1 (4) (ञ) में यह व्यवस्था दी गई है कि IGRS पोर्टल पर शिकायतों के निस्तरण सम्बन्धी कार्य सम्पादन हेतु निर्धारित समय सीमाएं परिशिष्ट-1 (छायाप्रति संलग्न) में स्पष्ट की गई है। पी0जी0 पोर्टल पर दर्ज सन्दर्भों के निस्तारण की समय सीमा सामान्यतः 30 दिवस अथवा यथा आदेशित निर्धारित है।

3. भारत सरकार में पी0जी0 पोर्टल सन्दर्भ के निस्तारण की समयावधि 21 दिन निर्धारित करते हुए पी0जी0 पोर्टल की समीक्षा की जा रही है। उक्त के क्रम में पूर्व में निर्धारित 30 दिन को कम करते हुए 21 दिन किए जाने की आवश्यकता है।

4. सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 के प्रस्तर-1 (4) (ञ) में निम्नवत आंशिक संशोधन किया जाता है:-

''पी0जी0 पोर्टल सन्दर्भ के निस्तारण की समयसीमा 21 दिन अथवा यथा आदेशित होगी''

शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे। शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त संशोधन दिनांक 01 दिसम्बर, 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रस्तर-4 के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 07/2024/2059(1)/चौंतीस-लो0शि-05/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव/विशेष सचिव/विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उपाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त कुल सचिव, चिकित्सा, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, योजना भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
9. प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी० सेल, मुख्यमंत्री कार्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया IGRS पोर्टल में उक्तानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
10. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. अन्य अधिकारीगण।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(ईशान प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।